न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

नामान्तरण अपीलः 17/2019

दायर दिनांकः 03.06.2019

निर्णय दिनांक 05.04.2021

—:अनवानः—

श्रीमती गुलाबी पत्नि श्री मोडा सुथार, उम्र 70 वर्ष निवासी देवगढ तहसील देवगढ हाल निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द

—— अपीलार्थी

—:बनामः—

1. श्री मांगीलाल पिता रूपा सुथार उम्र 70 वर्ष निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2. राजस्थान राज्य ज़रिये तहसीलदार आमेट, तहसील आमेट जिला राजसमन्द

——— रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 272 दिनांक 25.01.1983 फैसल द्वारा तहसीलदार आमेट, तहसील आमेट जिला राजसमन्द

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश देवपुरा, अधिवक्ता अपीलांट्स

2— रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित

3— श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02

—::निर्णयः::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है। अपीलांट ने श्री रूपा पिता वरदा जी जाति सुथार उम्र 70 वर्ष निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद से कस्बा आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद के आराजी नम्बर 3223 रकबा 0.2000 हैक्टर, 3227 रकबा 0.1500 हैक्टर व आराजी नम्बर 3108 मे से 0.0300 हैक्टर भूमि कुल किता 03 कुल क्षेत्रफल 0.3800 हेक्टर भूमि खरीद जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.04.1979 से खरीद की, उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 272 भरा, जिसे तहसीलदार आमेट द्वारा बाद जांच स्वीकार कर लिया, लेकिन अपीलांट ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 08.04.1979 और पंजीयन दिनांक 16.04.1979 से आराजी नम्बर 3223 रकबा 0.2000 हेक्टर 3227 रकबा 0.1500 हेक्टर व आराजी नम्बर 3108 मे से 0.0300 हेक्टर भूमि तीनों आराजी खरीद की , लेकिन जो नामान्तरण खोला गया वह केवल मात्र आराजी नम्बर 3223 रकबा 0.2000 हैक्टर, 3227 रकबा 0.1500 हैक्टर का ही खोला गया एवं आराजी नम्बर 3108 मे से 0.0300 हैक्टर भूमि का नामान्तरण आज दिनांक तक नही खोला गया। जबकि तीनो आराजी नम्बर पर अपीलांट का कब्जा है, लेकिन खाते मे

अपीलान्ट के दर्ज नही हुई है तथा श्री रूपा आत्मज वरदा जी सुथार विक्रेता की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि आराजी नम्बर 3108 मे से रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि विक्रेता रूपा आत्मज वरदा सुथार के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज बोल रही है, अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्री रूपा आत्मज वरदा जी जाति सुथार निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद से उसके खातेदारी की आराजी नम्बर 3223 रकबा 0.2000 हेक्टर, 3227 रकबा 0.1500 हेक्टर व आराजी नम्बर 3108 मे से 0.0300 हेक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 0.3800 हेक्टर भूमि खरीद की, जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 08.04.1979 एवं पंजीयन दिनांक 16.04.1979 को कर रखा है, तो वक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का आमेट एवं तहसीलदार साहब आमेट को विक्रय पत्र मे वर्णित विक्रय शुदा कुलिया आराजियात का नामान्तरकरण खोलना चाहिये था, लेकिन पटवारी हल्का ने व तहसीलदार साहब आमेट ने विक्रय पत्र मे वर्णित आराजी नम्बर 3108 मे से रकबा 0.0300 हेक्टर का नामान्तरकरण नहीं खोला जो भारी कानुनी एवं वाकीयाती भूल है। तहसीलदार साहब आमेट ने विक्रय विलेख का पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना ही नामान्तरकरण खोल दिया जबकि उक्त तीनों ही आराजियात का नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिये था, अर्थात् विक्रय पत्र के अनुरूप विक्रय शुदा भूमि कुलिया का नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिये था, जो नही किया गया, जिसके लिए यह अपील पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित व 02 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

अधिवक्ता अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलांट ने आराजी नम्बर 3223 रकबा 0.2000 हैक्टर, 3227 रकबा 0.1500 हैक्टर व आराजी नम्बर 3108 मे से 0.0300 हैक्टर भूमि कुल किता 03 कुल क्षेत्रफल 0.3800 हेक्टर भूमि खरीद जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.04.1979 से खरीद की, उस रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 272 भरा, जिसे तहसीलदार आमेट द्वारा बाद जांच स्वीकार कर लिया, लेकिन अपीलान्ट ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 08.04.1979 और पंजीयन दिनांक 16.04.1979 से आराजी नम्बर 3223 रकबा 0.2000 हेक्टर 3227 रकबा 0.1500 हेक्टर व आराजी नम्बर 3108 मे से 0.0300 हेक्टर भूमि तीनों आराजी खरीद की , लेकिन जो नामान्तरण खोला गया वह केवल मात्र आराजी नम्बर 3223 रकबा 0.2000 हैक्टर, 3227 रकबा 0.1500 हैक्टर का ही खोला गया एवं आराजी नम्बर 3108 मे से 0.0300 हैक्टर भूमि का नामान्तरण आज दिनांक तक नही खोला गया। जबकि तीनो आराजी नम्बर पर अपीलांट का कब्जा है, लेकिन खाते मे अपीलान्ट के दर्ज नही हुई है तथा श्री रूपा आत्मज वरदा जी सुथार विक्रेता की मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट की खरीदशुदा भूमि आराजी नम्बर 3108 मे से रकबा 0.0300 हैक्टर भूमि विक्रेता रूपा आत्मज वरदा सुथार के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज बोल रही है, अपीलान्ट ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से श्री रूपा आत्मज वरदा जी जाति सुथार निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद से उसके खातेदारी की आराजी नम्बर 3223 रकबा 0.2000 हेक्टर, 3227 रकबा 0.1500 हेक्टर व आराजी नम्बर 3108 मे से 0.0300 हेक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 0.3800 हेक्टर भूमि खरीद की, जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित दिनांक 08.04.1979 एवं पंजीयन दिनांक 16.04.1979 को कर रखा है, तो

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

वक्त नामान्तरकरण पटवारी हल्का आमेट एवं तहसीलदार साहब आमेट को विक्रय पत्र मे वर्णित विक्रय शुदा कुलिया आराजियात का नामान्तरकरण खोलना चाहिये था, लेकिन पटवारी हल्का ने व तहसीलदार साहब आमेट ने विक्रय पत्र मे वर्णित आराजी नम्बर 3108 मे से रकबा 0.0300 हेक्टर का नामान्तरकरण नहीं खोला जो भारी कानुनी एवं वाकीयाती भूल है। तहसीलदार साहब आमेट ने विक्रय विलेख का पूर्ण रूप से अवलोकन किये बिना ही नामान्तरकरण खोल दिया जबकि उक्त तीनों ही आराजियात का नामान्तरकरण दर्ज होना चाहिये था, अर्थात् विक्रय पत्र के अनुरूप विक्रय शुदा भूमि कुलिया का नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिये था, जो नही किया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित नामान्तरण संख्या 272 को अपास्त किया जाकर राजस्व रेकार्ड में विक्रयशुदा तीना आराजी भूमि अपीलांट के नाम दर्ज की जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि तहसीलदार, आमेट द्वारा पारित किया गया आक्षेपित नामान्तरण विधिनुकूल होकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलांट तथा राजकीय अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया गया। प्रस्तुत अपील 37 वर्ष बाद पेश की है जिसमे विस्तृत जॉच की आवश्यकता हैं तथा जिन खातेदारो के नाम जमाबन्दी में हैं। उन्हे सुनवाई व साक्ष्य का उचित अवसर दिये बिना अपील का निस्तारण नही किया जा सकता हैं। 37 वर्ष पहले हुई रजिस्ट्री पर कार्यवाही विवरण के आधार पर निर्णय नही किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज की जाती है।

::आदेश::

प्रस्तुत अपील 37 वर्ष बाद पेश की है जिसमें विस्तृत जॉच की आवश्यकता हैं तथा जिन खातेदारो के नाम जमाबन्दी में हैं। उन्हे सुनवाई व साक्ष्य का उचित अवसर दिये बिना अपील का निस्तारण नही किया जा सकता हैं। 37 वर्ष पहले हुई रजिस्ट्री पर कार्यवाही विवरण के आधार पर निर्णय नही किया जा सकता हैं। अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया जाकर खारिज की जाती है तथा तहसीलदार, आमेट द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 272 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)